कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

द्वितीय तल, नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना–800015

दूरभाष :– 0612–2215895, वेबसाइट– krishi.bih.nic.in ई–मेल– diragri-bih@nic.in, diragri.bih@gmail.com

संचिका / पत्र संख्या–2(गो०)सी०–2–265 / 2015– कृ0, पटना, दिनाक .....

आदेश

जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 1400 दिनांक 02.09.2015 के द्वारा श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान के विरूद्ध आदेश संख्या–281 दिनांक 13.06.2016 से कारावास अवधि के लिए निलंबित किया गया एवं पत्रांक 282 दिनांक 13.06.2016 से निलंबन मुक्त करते हुए प्राप्त प्रपत्र 'क' के आलोक में आदेश संख्या 280 दिनांक 13.06. 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त प्रपत्र 'क' में आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि–

1. खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 अन्तर्गत जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक 2034 दिनांक 13.12.2013 द्वारा आपकी प्रतिनियुक्ति धान अधिप्राप्ति क्रय केन्द्र में कय केन्द्र प्रभारी के रूप में की गई थी। आपके द्वारा कुल 6689.80 क्वीं0 धान क्रय किया गया था जिसमें से 5202.58 क्वीं0 धान मिलरों को आपूर्ति की गई तथा शेष 1487.22 क्वीं0 धान की आपूर्ति आपके द्वारा मिलरों को निर्गत भंडार निर्गमादेश के विरूद्ध आपूर्ति नहीं की गई है। इस प्रकार 1487.22 क्वीं0 धान आपके द्वारा गबन की गई है।

2. आपको इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों से 1487.22 क्वीं0 धान की क्षति राशि रू0 25,51,177.19 रू0 (पचीस लाख एकावन हजार एक सौ सतहत्तर रूपये उन्नीस पैसा) निगम खाते में जमा करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु अभी तक आपके द्वारा उक्त राशि निगम खाता में जमा नहीं किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा निगम को रू0 25,51,177.19 रू0 (पचीस लाख एकावन हजार एक सौ सतहत्तर रूपये उन्नीस पैसा) की आर्थिक क्षति पहुँचाई गई है।

3. आपका यह कृत्य बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 (1), (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंघन करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन– श्री अवध किशोर राम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति तत्कालीन क्रय केन्द्र प्रभारी, भगवानपुर, वैशाली के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के पक्ष में गवाह / साक्ष्य एवं स्पष्टीकरण की मांग संचालन पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 1101 दिनांक 11.07.2016, पत्रांक 1243 दिनांक 19.08.2016 पत्रांक 1299 दिनांक 27.08.2016 पत्रांक 1604 दिनांक 26.10.2016

पत्रांक 1757 दिनांक 14.11.2016 एवं पत्रांक 2008 दिनांक 22.12.2016 से की गई। श्री राम का स्पष्टीकरण दिनांक 22.12.2016 को निबंधित डाक से प्राप्त हुआ। सुनवाई हेतु दिनांक 29.12.2016, 25.01.2017, 12.02.2017, 29.03.2017, 12.04.2017, 05.05.2017, 15.05.2017, 24.05.2017, 21.06.2017, 19.07.2017 एवं 09.08.2017 को तिथि निर्धारित की गयी।

उक्त के उपरांत श्री राम ने खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में अधिप्राप्ति किए गए धान की कुल मात्रांक 6689.80 में से 5202.58 क्वींटल धान मिलरों को आपूर्ति की गई। शेष 1487.22 क्वींटल धान मिलरों को निर्गमादेश के विरूद्ध आपूर्ति नहीं किए जाने के संबंध में आपने स्पष्टीकरण में तथ्य दिया है कि सहथा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष श्री मिलीन्द कश्यप उर्फ टुन्ना सिंह के गोदाम में कुल धान 2341.40 क्वींटल क्रय कर रखा गया। रखे गये कुल 2341.40 क्वींटल में से 568.00 क्वींटल क्रय केन्द्र भगवानपुर में से 568.00 क्वींटल क्रय केन्द्र भगवानपुर रतनपुरा गोदाम पर गिराया गया। जब अवशेष धान का उठाव होने लगा तो ट्रक चलान के अनुसार 798.00 क्वीं0 धान कम हो गया तथा श्री कश्यप द्वारा 798.00 क्वींटल धान कल परसों करते करते नहीं दिया गया। शेष धान नहीं दिये जाने के कारण आरोपी कर्मी द्वारा माननीय मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी, हाजीपुर के न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 10/2016 दायर किया गया है। आज तक मामला न्यायालय में लंबित है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री सुबोध सिंह, पैक्स परताप टाड़ पश्चिमी के द्वारा 246.00 क्वींटल धान क्रय किया गया जिसमें से 30.00 क्वींटल प्रखंड गोदाम में उपलब्ध कराया गया। शेष 216.00 क्वींटल उनके द्वारा रख लिया गया।

प्रखंड गोदाम से मे0 दुर्गा राईस मिल, देसरी को 1612.05 क्वींटल मे0 जय मॉ भवानी, राईस मिल को 367.25 क्वींटल मे0 गोबिन्दपुर बेला पैक्स राई मिल को 1423.75 क्वींटल मे0 जय माता दी राईस मिल, समस्तीपुर को 1211.89 क्वींटल मे0 कृष्णा राईस मिल, मोतिहारी को 740.35 क्वींटल धान उपलब्ध कराया गया है। जिसका साक्ष्य संलग्न किया गया है। इस प्रकार कुल 6689.80 क्वींटल धान अधिप्राप्ति के पश्चात् मिलरों को कुल 5355.29 क्वींटल धान निर्गत किया गया है। इस प्रकार आरोपी पदाधिकारी द्वारा 1334.51 क्वींटल कम धान की आपूर्ति की गई है। जबकि गठित आरोप में 1487.22 क्वींटल कम धान की आपूर्ति की गई है। जबकि गठित आरोप में 1487.22 क्वींटल धान गबन का आरोप लगाया गया है। साक्ष्य के रूप में बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईजर कॉपोरेशन लि0 वैशाली, हाजीपुर का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मेरा स्थानान्तरण, भगवानपुर प्रखंड, बेगूसराय में हो गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 20.06.2014 का विरमित कर दिया गया। किसी तरह मैने अपने धान का उठाव कराया। एस0एफ0सी0 ऑफिस में जिला प्रबंधक, वैशाली, हाजीपुर को लिखित भी दिये कि सहथा पैक्स अध्यक्ष्य श्री टुना सिंह द्वारा मुझे 798 क्वींटल धान नहीं दिया। फिर भी एस0एफ0सी0 ऑफिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

प्रताप टाड़ पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष्य श्री सुबोध सिंह द्वारा गोदाम पर धान रखने के क्रम में किसान सलाहकार से मारपीट कर लिया और 216 क्वींटल धान रख लिया गया। श्री मिलीन्द कश्यप, सहथा पंचायत पैक्स अध्यक्ष द्वारा निर्गत पत्र शून्य दिनांक 10.04.2014 उपलब्ध कराया गया।

संलग्न साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि सहथा पंचायत पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने पैड पर कुल 2341.40 क्वींटल धान अधिप्राप्ति करने तथा 568 क्वींटल धान क्रय केन्द्र, भगवानपुर में गिराने तथा शेष धान सहयोग समिति के गोदाम में सुरक्षित रखे जाने की सूचना प्रखंड कृषि पदाधिकारी–सह–क्रय केन्द्र प्रभारी, भगवानपुर वैशाली को अपने पत्रांक शून्य दिनांक 10.04.2014 द्वारा दिया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि गोदाम में रखे गये छल्ली के नीचे का धान सिपेज के कारण बर्बाद हो गया।

प्रस्तुत साक्ष्य एवं दलील के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कुल 1334.51 क्वींटल कम धान मिलरों को आपूर्ति किया गया है। अतः गबन का आरोप प्रमाणित होता है।

प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के आधार पर पत्रांक 255 दिनांक 17.04.2018 के द्वारा लिखित अभिकथन की मांग की गई।

तदनुसार श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान से प्राप्त लिखित अभिकथन में उल्लेखित किया गया कि–

पैक्स अध्यक्ष द्वारा धान नहीं दिया गया जिसके चलते हमारे उपर गबन का आरोप S.F.C द्वारा लगाया गया है जिस प्रखंड गोदाम में धान रखा जा रहा था वह गोदाम फूल हो गया तो मै धान क्रय नहीं कर रहा था। जिला पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर के द्वारा आदेश हुआ कि पैक्स गोदाम में धान खरीद कर रखिए तो सहथा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिलीन्द कश्यप उर्फ टुना सिंह के गोदाम में धान रखा गया

था। धान का क्रय किसान सलाहकार पुरूषोतम कुमार कर रह था। धान का उठाव समय से नहीं हुआ। उसी समय मेरा स्थानान्तरण बेगूसराय हो गया। मुझे बेगूसराय जाना पड़ा धान का उठाव नहीं हुआ। S.F.C ऑफिस में जिला प्रबंधक वैशाली हाजीपुर को लिखित भी दिये गये। जब मिलर धान उठाने आया तो कहने लगा कि एक क्विंटल धान पर 5 किलों धान अधिक दिजीएगा तो धान का उठाव करेंगे। इस बात को जब S.F.C ऑफिस में कहा गया तो ऑफिस के लाल साहेब द्वारा कहा गया कि किसी तरह धान का उठाव कराइये नहीं तो सारा धान अपने माथा पर गिर जायेगा तो मजबूर होकर धान को मिलर को देना पड़ा। इसमें भी 42 किलो धान का बोड़ा सुखकर 37–38 किलो होने लगा I.S.F.C ऑफिस में जिला प्रबंधक वैशाली हाजीपुर को लिखित भी दिये गये कि सहथा पैक्स अध्यक्ष, टुना सिंह उर्फ मिलिन्द्र कश्यप द्वारा 798 (सात सौ अन्ठानवें) क्विंटल धान नहीं दिया गया फिर भी S.F.C द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। हम पर केश भी कर दिया गया बुलाकर कसटडी भी करा दिया गया तीन माह जेल में रहे। प्रताप टॉड़ पश्चिमी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सुबोध सिंह द्वारा प्रखण्ड गोदाम पर धान रखने के क्रम में किसान सलाहकार पुरषोतम कुमार से मारपीट कर दिया और 216 (दो सौ सोलह) क्वींटल धान रख लिया उस पर केश चल रहा है। केश के चलते वे भी धान नहीं लिया। हमसे कहने लगा कि केश उठाईए तो धान देंगे। इसके विषय में गोदाम मनिकमथुरा राय रतनपुरा, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद, भूमिनन्दन सिंह, किसान सलाहकार पुरूषोतम कुमार, बबन सिंह, कुन्दन सिंह, कुणाल सिंह आदि सभी किसान सलाहकार से पूछा जा सकता है हमारे विषय में मैने एक किलो धान गबन नहीं किया है। सहथा पैक्स अध्यक्ष राइस मिल भी बैठाया गया है कहा कि सर आप घबराईये नहीं हम चावल कुट कर S.F.C को दे देंगे। चावल कुट कर बेच दिया S.F.C को नहीं दिया। उसपर केस भी किया गया है जिसकी कॉपी संलग्न है। पैक्स अध्यक्ष द्वारा कुल 2341.40 क्विंटल धान खरीदा गया था जिसमें 568 क्विंटल धान प्रखंड गोदाम में गिराया गया था शेष 1773.40 क्विंटल धान पैक्स गोदाम सहथा में रखा गया था जिसमें 975.40 क्विंटल धान मीलर को गया और 798 क्विंटल धान कल परसो करते–करते नहीं दिया जिसका लिखित पैक्स अध्यक्ष अपने पैड पर दिया है, जो संलग्न है। पैक्स अध्यक्ष टूना सिंह द्वारा कहा गया है कि बोड़ा दिया जाय तो दिनांक 01.08.2014 को अपने से लिखित देकर तीन बंडल बोड़ा 1500 पन्द्रह सौ बोड़ा ले गया और कहा कि दो तीन दिन का समय दिया जाय हम धान बोड़ा में कसवा कर दे देते है यह बात रतनपुरा गोदाम मालिक मथुरा राय के सामने कहा। बोड़ा भी रख लिया और

धान भी नहीं दिया। जिसका रिसिंविंग संलग्न है। 473 क्विंटल धान सुखवन और गोदाम में सड़ गया इस सब बातों का ध्यान देते हुए मुझ परं बिचार किया जाय क्योंकि मै बहुत परेशान हूँ। मुझे दूसरा कोई सहारा भी नहीं है।"

श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान के विरूद्ध आरोप प्रपत्र 'क'/संचालन पदाधिकारी के संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके विरूद्ध वित्तीय अनियमितता तथा गबन का आरोप प्रमाणित होते है। साथ ही श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये तथ्यों में कोई ऐसा तथ्य नहीं है, जिससे गबन के आरोप को अप्रमाणित माना जा सके।

उक्त के समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान का उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली –1976 के (3) जिसमें हरेक सरकारी सेवक को (i) पूरी शीलनिष्ठा रखना। (ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखना। (iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो से संबंधित प्रावधानों के प्रतिकूल है, इस आधार पर इन्हें सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः– /कृ0,पटना,दिनांकः– 2020

निबंधित

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, सिवान/वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः– /कृ0,पटना,दिनांकः– 2020

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री अवध किशोर राम, तत्कालीन प्रखंड कृषि पदाधिकारी, भगवानपुर सम्प्रति प्रखंड कृषि पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः–　　/कृ0,पटना,दिनांकः–　　2020

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, वैशाली/सभी संयुक्त निदेशक (शष्य), बिहार/सभी जिला कृषि पदाधिकारी, बिहार/प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांकः–　　/कृ0,पटना,दिनांकः–　　2020

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/कृषि निदेशक के आप्त सचिव/उप निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

ज्ञापांक 146　　/कृ0, पटना, दिनांकः– 20/02/ 2020

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित को ई0 मेल0 करने के साथ–साथ बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20.02.2020

कृषि निदेशक,बिहार,पटना

20.02.20

(3)
20/02/20